न्यायालय:– विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अजय कुमार भोजक
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दांडिक प्रकरण सं. : 538 /2025 Cis No. 08/2026
सीएनआर नंबर RJSG070000632026

अनुपमा पांडे पत्नी श्री गजेन्द्र मणि तिवाड़ी, निवासी वार्ड नंबर 01, देव नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

––प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497 बीएनएसएस (451 दण्ड प्रक्रिया संहिता old)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 538/2025 आरक्षी केन्द्र कोतवाली श्रीगंगानगर
अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति:–
1. श्री गोकुल स्वामी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विजेन्द्र कुमार विशिष्ट लोक अभियोजक , राजस्थान राज्य की ओर से।

–आदेश– दिनांकः– 25.03.2026

01. प्रार्थीया अनुपमा पांडे की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497 बीएनएसएस प्रस्तुत करने पर उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

02. प्रार्थी की ओर से धारा 497 बीएनएसएस का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का मोबाईल Moto Edge 60 Fusion 5G 8+ 256 GB आईएमईआई नम्बर 356204319282339 को पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर द्वारा बरामद कर जब्त किया गया है। प्रार्थीया उक्त मोबाईल का मालिक है और उसे हर समय आवश्यकता रहती है जबकि पुलिस को इस मोबाईल की कोई आवश्यकता नहीं है। थाना में पड़े रहने से उसके रंग रोगन आदि के खराब होने का अंदेशा है। अंत में जब्तदशुदा मोबाईल को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

03. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि उक्त मोबाईल की प्रार्थीया को आवश्यकता रहती है। इस मोबाईल की पुलिस थाना को कोई आवश्यकता नहीं है, थाना में पड़े रहने से इसके खराब होने की अशंका है। जब्तदशुदा मोबाईल सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

04. विद्वान विशिष्ट लोक अभियेाजक द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया ।

05. पक्षकारान के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मोबाईल Moto Edge 60 Fusion 5G 8+ 256 GB आईएमईआई

नम्बर 356204319282339 पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त मोबाईल हैण्डसैट के सम्बन्ध में मूल बिल, इसकी प्रति व आधार कार्ड की प्रति पेश की गई है। बिल में प्रार्थीया का नाम अंकित है। मूल बिल प्रार्थी को लौटाया गया। अतः तथ्यों व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीया को उक्त मोबाईल हैण्ड सैट को सुपुदर्गी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

6. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त अनुपमा पांडे की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी 25,000/– रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का सुपुर्दगीनामा व इतनी ही राशि का जमानतनामा न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए तो निम्न शर्तों पर उक्त मोबाईल Moto Edge 60 Fusion 5G 8+ 256 GB आईएमईआई नम्बर 356204319282339 की यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो को प्रार्थीया को सुपुर्दगी पर दे दिया जावेः–

1. कि प्रार्थीया मोबाईल के रंगीन फोटो संबंधित थानाधिकारी से प्रमाणित करवाकर थानाधिकारी को पेश करेगी जो पत्रावली में संलग्न किये जावेंगे।
2. कि इस प्रकरण का निर्णय होने तक प्रार्थीया उक्त मोबाईल हैण्डसैट का स्वामित्व अन्य किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेगी।
3. कि मोबाईल के रंग रूप, आकार प्रकार एवं उपयोगिता में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करेगी तथा जब भी न्यायालय अपेक्षा करे, प्रार्थीया मोबाईल हैण्डसैट को स्वयं के खर्चे पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(अजय कुमार भोजक)

7. आदेश आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अजय कुमार भोजक)

SUNENA

Steno Gr.III
"Authenticated document"
Digitally signed by SUNENA
Date: 2026.03.27 10:16:41 +0530